

समाहरणालय नवादा  
जिला भू-अर्जन कार्यालय, नवादा।

## अधिघोषणा

भू-अर्जन

दिनांक 26/4/13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मिल्की, थाना बारिसलीगंज, थाना न0- 546 परगना- जिला- नवादा से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राज्य उच्च पथ संख्या-83 (बागी-बरबीघा) के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम-मिल्की, थाना न0- 546 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमवेश 0.0225 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका खेसरा सं० निम्नांकित है:- 370, 371, 365, 366 अंश खेसरा

रकबा:- 0.0225 एकड़.

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर:- 372, 372, Village Boundaries & 364

दक्षिण:- Road, Road, Road, Road

पूरब:- Road, Road, Village Boundaries & 365

पश्चिम:- 371, 377, 366, 369

भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों से केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिया जायेगा।

यह अधिघोषणा बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1 of 1894 की धारा 6 एवं अधिनियम XVIII of 1885 की धारा 3(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी नवादा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
नवादा।

अपर समाहर्ता  
नवादा

सरकार के अवर सचिव  
नवादा

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या-15/डी0 एल0 ए0-नवादा (रा0उ0प0) - 01/2013 - 1169/रा०  
26/4/13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, नवादा को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/11/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।